सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 74 /2016 **दायर तारीख :–** 21.07.2016

1. पुरूषोत्तम कुमार पुत्र रामफल चमार, निवासी हाल म॰नं॰ 04 वार्ड न॰ 16 गुडगांव जिला गुडगांव, हरियाणा। **—— प्रार्थी**

बनाम

1. दयानन्द शक्करवाल पुत्र किशनलाल जाति रैगर निवासी ग्राम खरकडी, तहसील थानागाजी जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत सीमा निश्चयीकरण एवं सीमांकन पत्थरगढी

उपस्थित : श्री गुरूशरण दास गौतम, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 09.01.2018

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बागावास चौरासी के खाता संख्या 107 में दर्ज खसरा नम्बर 977/1.26 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी दर्ज रिकार्ड भूमि है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए खाता संख्या 71 में दर्ज खसरा नम्बर 977/2011/1.22 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी भूमि की सीमाओं की जानकारी होने के बावजूद आए दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि को दबाने की गरज से प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में बाड आदि लगाता है, तथा झगडा करने पर आमादा रहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी की हरकतो से परेशान होकर दिनांक 16.05.2016 को सीमाज्ञान करवाने के आदेश प्राप्त कर दिनांक 04.06.2016 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 977 का सीमाज्ञान मौके पर करवा लिया है, किन्तु अप्रार्थी इसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 107 में दर्ज खसरा नम्बर 977/1.26 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 977/2011/1.22 हैक्टेयर का सही सीमा विनिश्चयीकरण एवं सीमांकन करते स्थायी सीमाचिन्ह, पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा फरमावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 107 संवत् 2071–2074, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 71 संवत् 2071–2074, नकल नक्शा ट्रेस, नकल सीमाज्ञान फर्द दिनांक 04.06.2016 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 107 खसरा नम्बर 977/1.26 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम तथा खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 977/2011/1.22 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने–अपने खसरा नम्बर पर काबिज काश्त है, किन्तु मौके पर अप्रार्थी, प्रार्थी की खातेदारी भूमि में बेजा दखल करता है। यह भी कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 977 का दिनांक 04.06.2016 को सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अप्रार्थी की आराजी भूमि के लिए यह आवश्यक है आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बागावास चौरासी में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 107 में दर्ज खसरा नम्बर 977/1.26 हैक्टेयर का सीमा विनिश्चयीकरण एवं सीमांकन करते स्थायी सीमाचिन्ह, पत्थरगढी की जावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 09.01.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर